UPMP010002612008

न्यायालय ADJ I, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (Sri Achchhe Lal Saroj), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06134

विशेष सत्र परीक्षण संख्या – 47/2008

उत्तर प्रदेश राज्य। अभियोजन......

बनाम

पप्पू पुत्र सुखवासी लाल निवासी चन्दरपुर थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी।

--------अभियुक्त
अपराध संख्या– 950/2008
धारा– 08/22 एन.डी.पी.एस
थाना– करहल, **जनपद–** मैनपुरी।

अभियोजक	उत्तर प्रदेश राज्य
प्रतिनिधित्व	सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (विशेष) श्री रामदर्शन पाल एड०
अभियुक्त	पप्पू
प्रतिनिधित्व अभियुक्त	विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार कश्यप एड०
घटना की तिथि	23.09.2008
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की तिथि	23.09.2008
आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की तिथि	28.11.2008

आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिये जाने की तिथि	20.12.2008
आरोप विरचित किये जाने की तिथि	29.07.2009
साक्ष्य प्रारम्भ करने की तिथि	03.09.2015
धारा 313 दं.प्रं.स. का बयान की तिथि	03.08.2026
निर्णय की तिथि	13.08.2026

(i) अभियोजन साक्षियों की सूची :–

क्रम संख्या	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार**
पी.डब्लू. 1	एस.आई. बबलू सिंह	तथ्य का साक्षी
पी.डब्लू. 2	हेड कानि० अरूण कुमार (चिक एफ.आई.आर. व जी.डी. लेखक)	औपचारिक साक्षी
पी.डब्लू. 3	उपनिरीक्षक राधेश्याम	औपचारिक साक्षी

(ii) अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रदर्श :–

क्रम संख्या	**प्रदर्श संख्या**	**प्रकार**
1.	प्रदर्श क– 1 / पी.डब्लू. 1	फर्द बरामदगी छायाप्रति
2.	प्रदर्श क– 2 / पी.डब्लू. 2	चिक एफ.आई.आर (मूलप्रति अन्य अभियुक्त की पत्रावली में संलग्न)
3.	प्रदर्श क– 3 / पी.डब्लू. 2	जी.डी. (मूलप्रति अन्य अभियुक्त की पत्रावली में संलग्न)
4.	प्रदर्श क– 4 / पी.डब्लू. 3	नक्शा नजरी छायाप्रति
5.	प्रदर्श क– 5 / पी.डब्लू. 3	आरोप पत्र

(iii) अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वस्तु प्रदर्श :–

क्रम संख्या	**वस्तु प्रदर्श संख्या**
1.	वस्तु प्रदर्श– 1 लगायत वस्तु प्रदर्श–10 / बरामद डायजापाम के 10 गोलियों के 10 पत्ते

<u>निर्णय</u>

अभियुक्त पप्पू पुत्र सुखवासी लाल निवासी चन्दरपुर थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी का विचारण मुकदमा अपराध संख्या. 949/2008 अंतर्गत धारा 08/22

एन.डी.पी.एस एक्ट थाना करहल जिला मैनपुरी की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि वादी मुकदमा एस.आई बबलू सिंह द्वारा फर्द बरामदगी के आधार पर थाना हाजा पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि, "आज दिनांक 23.09.2008 को मैं उपनिरीक्षक बबलू सिंह मय हमराह कानि० 539 बृजेश कुमार, कानि० 709 संजीव कुमार, कानि० 766 बादाम सिंह के साथ चौकी कस्बा करहल से रवाना होकर देखरेख शान्ति व्यवस्था व तलाश वांछित अपराधी व गश्त में मामूर था कि जब हम पुलिस वाले गश्त करते हुए तहसील तिराहा के पास पहुँचे तो जरिये मुखबिर सूचना मिली कि दो व्यक्ति गांजा व नशीली गोलियों लेकर जा रहे है, यदि जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते है। इस सूचना पर विश्वास करके असनाहे राह से गवाहान फराहम करने की कोशिश की लेकिन भलाई बुराई के कारण कोई भी व्यक्ति तैयार नही हुआ। अपराध रोकने की गरज से आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यह विश्वास किया कि किसी के पास अपराध से संबंधित कोई वस्तु नही है। मुखबिर के बताये स्थान की ओर चल दिये जब हम जैन इण्टर कालेज चौराहा के पास पहुँचे तो मुखबिर ने इशारा करके बताया कि यही वह व्यक्ति है और मुखबिर चला गया। हम पुलिस वालों ने एकदम दौड़कर घेरकर आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए दोनो व्यक्तियों को जैन इण्टर कालेज के गेट से सैफई जाने वाले रोड पर लगभग 50 कदम की दूरी पर समय करीब 6.00 बजे पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्तियों से कहा कि आप अपनी जामा तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष लिवा सकते हो। तो पकड़े गये व्यक्तियों ने कहा कि हमें आप पर पूरा विश्वास है आप हमारी जामा तलाशी ले सकते है। पकड़े हुए व्यक्तियों को जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम अनिल पुत्र लाखन सिंह निवासी गुवरईया थाना चौबिया जनपद इटावा बताया तथा दूसरे ने अपना नाम पप्पू पुत्र सुखवासी लाल निवासी चन्दरपुर थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी बताया, जिसकी जामा तलाशी से पहने पेन्ट की दाहिनी जेब से 100 गोलियां डायजापाम मिली वजन करीब 35 ग्राम है। गोलियों के रैपर पर डाइजापाम टेबलेट्स आई.पी. लिखा है, बरामद हुई। पकड़े गये व्यक्ति को कारण गिरफ्तारी बताकर हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का भली भांति पालन किया गया। बरामद नशीली गोलियों को कब्जा पुलिस में लेकर नमूना मुहर तैयार किया गया। फर्द मेरे द्वारा मौके पर तैयार की गयी। फर्द लिखकर हमराहीयान को सुनाकर हस्ताक्षर गवाही गवाहान कराये जा रहे है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना थाने पर जाकर उचित माध्यम से भिजवायी जायेगी। "

3– वादी मुकदमा एस.आई बबलू सिंह वर्मा की उपरोक्त आशय की फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 के आधार पर थाना करहल जिला मैनपुरी में मुकदमा अपराध संख्या 949/2008 अंतर्गत धारा 08/22 एन.डी.पी.एस एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त

पप्पू के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी, जिसका इन्द्राज जी.डी मुकदमा कायमी में किया गया।

4– मामले की विवेचना एस.आई. राधेश्याम द्वारा की गयी जिनके द्वारा नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ.आई.आर. लेखक हेड कानि० अरूण कुमार, बयान वादी, बयान फर्द गवाहान अंकित किये तथा वादी की निशान देही पर निरीक्षण घटनास्थल कर नक्शा नजरी तैयार की व साक्ष्य संक्लन के आधार पर नामित अभियुक्त पप्पू के विरूद्ध जुर्म धारा 08/22 एन.डी.पी.एस का अपराध प्रथम दृष्टया साबित पाते हुये आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

5– न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी द्वारा अभियुक्त पप्पू के विरूद्ध अपराध का संज्ञान ग्रहण किया गया तथा अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकलें प्रदान हेतु दिशा निर्देश दिये गये तथा न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश मैनपुरी के आदेश पर पत्रावली दिनांक 02.01.2009 को विशेष सत्र न्यायालय (ई.सी.एक्ट), मैनपुरी को स्थानांतरित की गयी।

6– अभियुक्त पप्पू के विरूद्ध आरोप अंतर्गत धारा 08/22 एन.डी.पी.एस एक्ट आरोप के बिन्दु पर सुने जाने के पश्चात दिनांक 29.07.2009 को विशेष सत्र न्यायालय (ई.सी.एक्ट), मैनपुरी द्वारा विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्त आरोप से इन्कार किया तथा विचारण किये जाने की मांग की। दौरान विचारण यह पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हुयी। अत: इस निर्णय से उक्त पत्रावली का स्थानांतरण किया जा रहा है।

7– अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य में फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–1, चिक एफ.आई.आर को प्रदर्श क–2,जी.डी को प्रदर्श क–3,नक्शा नजरी को प्रदर्श क–4, आरोप पत्र को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित कराया गया है।

8– (A) अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य के रूप में साक्षी पी.डब्लू. 01 के रूप में एस.आई. बबलू सिंह वर्मा को परीक्षित कराया गया है जिसने दिनांक 03.09.2015 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, "दिनांक 23.09.2008 को मैं थाना करहल पर बतौर चौकी इंचार्ज के पद पर तैनात था। उस दिन मेरे साथ कानि० ब्रजेश कुमार, कानि० संजीव कुमार, कानि० बादाम सिंह थे। हम लोग करहल में गश्त कर रहे थे कि जब हम लोग तहसील के पास पहुँचे तो जरिये मुखबिर सूचना मिली कि दो व्यक्ति गांजा व नशीली गोलियां लेकर जा रहे है। इस सूचना पर विश्वास करके जनता के गवाहन तलाश करने की कोशिश की लेकिन भलाई बुराई के कारण कोई भी व्यक्ति साथ चलने को तैयार नही हुआ। आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर आपस में विश्वास किया कि जुर्म से संबंधित कोई वस्तु नही है। मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचे जब हम लोग जैन इण्टर कालेज के पास पहुँचे तो मुखबिर ने इशारा करके बताया कि जो दो व्यक्ति खड़े है उनके ही पास गांजा व नशीला गोलिया है। इस पर हम लोगों ने एक बारगी दबिश देकर आवश्यक बल प्रयोग कर समय करीब प्रातः 6

बजे दो व्यक्तियों को पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्तियों से भागने का कारण पूछा तो कहने लगे कि हम लोगो के पास नाजायज गांजा व नशीली गोलियां है व मेरे द्वारा बताया गया कि आप उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिलवाने के लिये स्वतंत्र है। इस पर पकड़े गये दोनों व्यक्तियों ने कहा कि जब आप लोगो ने पकड़ लिया है तो आप ही हमारी तलाशी ले लीजिये। जिस पर मेरे द्वारा पहले व्यक्ति से जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछा तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम अनिल पुत्र लाखन सिंह निवासी गोबरईया थाना चौबिया जनपद इटावा बताया तथा दूसरे ने अपना पप्पू पुत्र सुखवासी लाल निवासी चन्दरपुर थाना कुर्रा मैनपुरी जामा तलाशी में पहने पेन्ट की जेब से 100 गोलियाँ डायजापाम वजनी करीब 35 ग्राम बरामद हुई। गोलियों के रेपर पर डायजापाम लिखा हुआ था। दोनों व्यक्तियों के जुर्म से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। दोनों से बरामद अलग–अलग सामान से अलग–अलग सील मुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। गिरफ्तारी के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का पालन किया गया था। फर्द मौके पर मेरे द्वारा लिखी गयी थी। फर्द पर मैने, मुल्जिमान ने हस्ताक्षर किये थे। फर्द की प्रति अभियुक्तों को देकर दोनो के हस्ताक्षर करवाये थे। फर्द बरामदगी व तहरीर मैने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी। फर्द बरामदगी पत्रावली पर कागज सं० 5 अ सत्र परीक्षण सं० 46/2008 राज्य बनाम अनिल पत्रावली में संलग्न है जिसकी छायाप्रति इस पत्रावली पर दाखिल की जाती है जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ जो असल के मुताबिक है इस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। मूल फर्द पत्रावली में कागज सं० 55 अ के रूप में दर्ज किया था। एक बण्डल न्यायालय में प्रस्तुत हुआ जिस पर लाल स्याही से 950/08 अंकित है न्यायालय के नियमानुसार खोला गया जिसमें से 10 पत्ते डायजापाम गोलियों के निकले जिसमें प्रत्येक पत्ते में 10–10 गोलियां के रूप में है जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही गोलियां है जिन्हें मैने अभियुक्त पप्पू से बरामद किया था, इन पत्तों पर **वस्तु प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–10** डाला गया।"

(B)– साक्षी पी०डब्लू–2 हेड कानि० अरूण कुमार ने दिनांक 13.08.2025 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, "दिनांक 23.09.2008 को थाना करहल मैं बतौर सी.सी के पद पर तैनात था और उसी दिन फर्द बरामदगी डायजापाम की नशीली गोलिया व नफर अभियुक्त पप्पू पुत्र सुखवासी लाल नि० चन्दरपुर थाना कुर्रा मैनपुरी के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या. 950/2008 धारा 8/22 एन.डी.पी.एस एक्ट के विरूद्ध चिक एफ.आई.आर कायम की थी। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जो पत्रावली पर कागज सं० 4 अ/1 लगायत 4 अ/2 के रूप में मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया तथा जिसका खुलासा जी.डी नं० 14 समय 08.05 बजे किया था। जो पत्रावली पर कागज सं० 9 अ के रूप में मौजूद है जो मूल जी.डी की कार्बन कापी है जिस **प्रदर्श क–3** डाला गया। विवेचक ने मेरा बयान थाने परिसर में लिया था।"

(C)– साक्षी पी०डब्लू–3 उपनिरीक्षक राधेश्याम ने दिनांक 17.11.2025 को अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि, " दिनांक 23.09.2008 को मैं एस. आई. के पद पर थाना करहल में तैनात था और उसी दिन मुकदमा अपराध संख्या. 950/08 धारा 8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट बनाम पप्पू की विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी और उसी दिन पर्चा नंबर 1 किता किया था और उसी दिन नकल रपट, नकल चिक, बयान एफ.आई.आर. लेखक, बयान वादी तथा बयान अभियुक्त अंकित किये थे। दिनांक 24.09.2008 को सी.डी. पर्चा नंबर. 2 किता किया था जिसमें मैने बयान गवाहान कानि० ब्रजेश कुमार, कानि० संजीव कुमार व कानि० बादाम सिंह के बयान अंकित किये थे तथा वादी एस.आई. बबलू सिंह की निशान देही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया था तथा नक्शा नजरी बनायी थी। यह नक्शा नजरी पत्रावली पर कागज संख्या. 6 अ के रूप में मौजूद है जो मूल की कार्बन कापी है जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया। जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। दिनांक 21.10.2008 मेरे द्वारा सी.डी. पर्चा नं० 3 किता किया था जिसमें मैने नकल विधि विज्ञान प्रयोगशाला आगरा भेजने हेतु कार्यवाही की थी। दिनांक 04.10.2008 को मेरे द्वारा सी.डी. पर्चा नं० 4 किता किया था व परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये रिमाण्ड स्वीकृत कराया था। उसी दौरान स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण मैं अवकाश पर चला गया था। आगे की विवेचना मेरे साथ रहे एस.आई. नन्दलाल द्वारा की गयी थी उनके द्वारा दिनांक 28.11.2008 को सी.डी. पर्चा नं० 5 किता किया गया जिसमें उन्होने विधि विज्ञान प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की थी तथा तमामी विवेचना का अवलोकन किया था और उन्होंने अभियुक्त पप्पू पुत्र सुखवासी के विरूद्ध अपराध संख्या. 252/08 अंतर्गत धारा 8/22 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। एस.आई. नन्द लाल मेरे साथ एक–डेढ़ वर्ष रहे थे मैं उनके लेख व हस्ताक्षर से भली भांति जानता हूँ व उनके हस्ताक्षर को पहचानता हूँ। यह आरोप पत्र पत्रावली पर कागज सं० 3 अ/1 लगायत 3 अ/3 के रूप में मौजूद है जो उनके लेख हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया।"

9– बाद समाप्ति साक्ष्य अभियोजन अभियुक्त पप्पू का बयान धारा–313 दं.प्र.स के अंतर्गत अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने आरोप को गलत बताया है एवं पुलिस वालों द्वारा घर से पकड़कर लाते हुये नशीली गोलियां लगाना बताया है। साक्षी पी.डब्लू.1 एस.आई. बबलू सिंह, साक्षी पी.डब्लू. 02 हेड कानि० अरूण कुमार तथा साक्षी पी.डब्लू.03 एस.आई. राधेश्याम के बयान के संबंध में कहा कि गलत बयान दिया है तथा गलत विवेचना की गयी है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को गलत बताया। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध रंजिशन मुकदमा चलना बताया तथा कहा कि वह निर्दोष है तथा घर से पकड़कर उसके विरूद्ध झूंठा चालान कराया गया है, उससे कोई बरामदगी नही हुयी है। अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया है।

10– मैनें विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (विशेष) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

11– अभियोजन पक्ष की तरफ से दौरान बहस यह तथ्य प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त पप्पू को थाना करहल की सीमान्तर्गत पुलिस पार्टी द्वारा जैन इण्टर कालेज के पास से संदिग्ध अवस्था में समय प्रात: 6.00 बजे गिरफ्तार किया गया एंव जामा तलाशी में उसके कब्जे से 100 गोलियां डायजापाम बरामद हुई जिसे रखने का आपके उसके पास कोई वैध लाईसेंस नही था। अभियोजन पक्ष की तरफ से पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन पक्ष द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सभी अभियोजन प्रपत्रों को अभियोजन साक्षियों द्वारा तस्दीक किया गया है। अभियुक्त पर आरोप सिद्ध है, अत: अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने की याचना की गयी है।

12– अभियुक्त द्वारा अभियोजन पक्ष के तर्कों का विरोध करते हुये कहा गया कि उसे झूंठा फंसाया गया है। उसके द्वारा उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर कोई बरामदगी नहीं हुयी है। अभियुक्त के पास से झूंठी बरामदगी दिखाकर अभियुक्त को प्रस्तुत मामलें में फंसाया गया है। अभियोजन की ओर से धारा–50 व 57 स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है। घटनास्थल जैन इण्टर कॉलेज के पास चौराहा का बताया गया है जो तहसील तिराहे से निकट है जहां सामान्यत: सुबह से ही लोगो का आवागमन रहता है किन्तु फिर भी कोई स्वतंत्र साक्षी परीक्षित नही कराया गया है। फर्द बरामदगी के अनुसार अभियुक्त से कुल 100 गोलियां डायजापाम वजन 35 ग्राम की बरामद होना बताया गया है किन्तु गोलियां कितने रैपर में थी, एक गोली का कितना वजन था तथा किस से नाप–तौल की गयी थी आदि के विषय में कोई स्पष्ट उल्लेख फर्द बरामदगी में नही किया गया है। इसके अतिरिक्त बरामद गोलियो से नमूना मौहर तैयार करना बताया गया है किन्तु कितनी मात्रा में नमूना कितना निकाला गया, इसका कोई उल्लेख नही किया गया है। दौरान जिरह वादी मुकदमा ने अभियुक्त से दो गोलियां डायजापाम की बरामद होना बताया गया है तथा वे किस कम्पनी की थी, याद न होना कहा है जिससे स्पष्ट है कि फर्जी बरामदगी दिखायी है। इसके अतिरिक्त जो माल न्यायालय में पेश किया गया है उस पर उ.प्र. ड्रग एण्ड फार्मस्टूकिल्स व कंपनी लिमिटेड लिखा होना बताया गया है जबकि जो माल वादी मुकदमा द्वारा मौके पर सील किया गया था, उस पर केवल डायजापाम लिखा होना बताया गया है, जिसकी पुष्टि वादी द्वारा भी दौरान जिरह की गयी है। इसके अतिरिक्त जो माल न्यायालय में पेश किया गया है, उसमें एक गोली का वजन 5 मिलीग्राम का उल्लेख किया गया है तथा उक्त बरामद माल पर संबंधित थाना की सील अंकित नही है जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त से कथित बरामद माल को न्यायालय में पेश नही किया गया है अपितु उससे संबंधित अन्य माल प्रस्तुत किया गया है। जहां तक रवानगी का प्रश्न है, वादी मुकदमा द्वारा अपनी फर्द बरामदगी में वास्ते देखरेख व शांति व्यवस्था आदि में थाना क्षेत्र से मामूर होना बताया है किन्तु

इसकी जी.डी में रवानगी किस समय की गयी, का कोई उल्लेख दर्शित नही किया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं की गयी है और उसे घर से पकड़कर फर्जी बरामदगी दिखाते हुये झूंठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की तरफ से पत्रावली पर अन्य तथ्य के साक्षी प्रस्तुत नही किये गये है तथा जिस एकमात्र साक्षी वादी मुकदमा को परीक्षित कराया गया है उसके कथनों में मुख्य परीक्षा व प्रति परीक्षा में पर्याप्त विरोधाभास है जिससे अभियोजन कथानक पूरी तरह से संदिग्ध है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप साबित नहीं है। अत: अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

13– अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 08/22 एन.डी.पी.एस को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।

14– अभियोग के संबंध में फर्द बरामदगी (प्रदर्श क–1) के अवलोकन से यह पाया जाता है कि फर्द बरामदगी में दिनांक 23.09.2008 की घटना दर्शाते हुये पुलिस पार्टी का वास्ते विवेचना व जांच थाने से निकलना और मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को समय प्रात: 06.00 बजे गिरफ्तार कर उसके पास से 100 गोलिया डायजापाम कुल वजन 35 ग्राम बरामद होना बताया गया है।

15– अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष की तरफ प्रस्तुत साक्षी पी.डब्लू. 01 वादी एस.आई. बबलू सिंह वर्मा के बयान के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस साक्षी ने अपने बयान की मुख्य परीक्षा में फर्द बरामदगी का समर्थन करते हुये चौकी कस्बा करहल से वास्ते देखरेख शांति व्यवस्था व तलाश वांछित अपराधी व गश्त में मामूर होना बताते हुये मुखबिर की सूचना पर समय प्रात: 6 बजे अभियुक्त को गिरफ्तार करना और उसके पास से 100 गोलियाँ डायजापाम जिनका वजन 35 ग्राम, बरामद होना बताया गया है। दौरान जिरह इस साक्षी ने घटना दिनांक 23.09.2008 की होना बताते हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कथित बरामद माल के संबंध में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि प्रस्तुत सीलबंद बण्डल पर न तो थानाध्यक्ष की सील मोहर अंकित है और न ही उनके हस्ताक्षर विद्यमान हैं। इस साक्षी के उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर संलग्न फर्द बरामदगी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त बरामद माल को कब्जा पुलिस लेकर नमूना मौहर तैयार किया गया है किन्तु कितनी मात्रा में नमूना बतौर परीक्षण निकाला गया तथा कितना शेष माल सील सर्व मौहर कर थाने भेजा गया, का कोई उल्लेख नही किया गया है। दौरान जिरह यह साक्षी फर्द बरामदगी में रैपरों की संख्या का उल्लेख न होना भी स्वीकार किया है तथा अभियुक्त के कब्जे से बरामद रैपरों पर केवल डायजापाम अंकित होना बताया है जबकि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कथित बरामद माल के रैपर पर उ.प्र. ड्रग्स एण्ड फर्मासूटिक्लस कम्पनी अंकित होना कहा है। इस प्रकार अभियुक्त से मौके पर कथित रूप से बरामद माल तथा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत माल के स्वरूप एवं पहचान में स्पष्ट एवं महत्वपूर्ण भिन्नता परिलक्षित होती है। उक्त गंभीर विसंगति का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण भी अभियोजन साक्षी द्वारा नहीं दिया गया

है। साक्षी ने न्यायालय में प्रस्तुत रैपर के संबंध में यह भी कथन किया है कि उसपर एक गोली का वजन 05 मिलीग्राम अंकित है। साथ ही फर्द बरामदगी में उल्लेखित बरामद माल का कुल वजन रैपर एवं गोलियों सहित 35 ग्राम अंकित होना बताया है। इस साक्षी के उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में फर्द बरामदगी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त से कुल 100 गोलियां डायजापाम बरामद हुई थीं, जिनका कुल वजन 35 ग्राम बताया गया है। यदि एक गोली का वजन, जैसा कि साक्षी ने न्यायालय में प्रस्तुत रैपर के आधार पर स्वयं बताया है, 05 मिलीग्राम है, तो 100 गोलियों का कुल वजन मात्र 500 मिलीग्राम अर्थात 0.5 ग्राम होता है। ऐसी स्थिति में 100 गोलियों का कुल वजन 35 ग्राम होना गणितीय रूप से असंगत एवं अभियोजन कथानक के विपरीत है। अतः बरामद माल की मात्रा एवं वजन के संबंध में स्वयं अभियोजन साक्षी के कथनों में ही गंभीर विरोधाभास उत्तपन्न होता है। दौरान जिरह बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूंछे जाने पर इस साक्षी ने 01 ग्राम में 10 मिलीग्राम होना बताया है, जो वस्तुतः माप एवं वजन की मूलभूत इकाइयों के संबंध में इस साक्षी की गंभीर अज्ञानता को प्रदर्शित करता है। उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी से दो भिन्न तिथियों पर प्रति परीक्षा सम्पादित की गयी है। दिनांक 03.07.2025 को अंकित की गयी प्रति परीक्षा में उक्त साक्षी अपने पूर्व कथन से भिन्न होकर अभियुक्त के कब्जे से केवल दो गोलियां बरामद होना बताया है तथा बरामद गोलियां किस कम्पनी की थीं और उनकी मात्रा अथवा संरचना क्या थी, के संबंध में अज्ञानता व्यक्त किया है। रवानगी के संबंध में इस साक्षी ने कथन किया है कि वह हमराह कर्मचारियों के साथ दो मोटरसाइकिलों एक सरकारी व एक प्राईवेट से घटनास्थल के लिए रवाना हुआ था, किंतु दोनों मोटरसाइकिलों के पंजीकरण संख्या के संबंध में अज्ञानता व्यक्त किया है। इस साक्षी के उपरोक्त कथनों के संदर्भ में फर्द बरामदगी के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि उसमें उक्त सरकारी अथवा निजी मोटरसाइकिल का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आगे यह साक्षी अभियुक्त की जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा लेने के बजाय स्वंय द्वारा लेना बताया है तथा घटनास्थल की चौहद्दी के संबंध में भी अज्ञानत व्यक्त किया है। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा किये गये उपरोक्त सम्पूर्ण कथनों से इस साक्षी द्वारा घटनास्थल पर की गयी कथित कार्यवाही व व अभियुक्त से कथित बरामदगी संदिग्ध प्रतीत होती है।

16– अभियोजन की तरफ से पी.डब्लू. 02 के रूप में मामले के चिक एफ.आई.आर व जी.डी लेखक हेड कानि० अरूण कुमार को परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा चिक एफ.आई.आर (प्रदर्श क–2) व जी.डी (प्रदर्श क–3) को अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि की गयी है। तथ्य के संबंध में इस साक्षी के बयान से कोई युक्तियुक्त राय नहीं बनायी जा सकती है। यह साक्षी औपचारिक साक्षी है, जो पुलिस प्रपत्र को साबित किया है।

17– अभियोजन की तरफ से पी.डब्लू. 03 जो मामले के पूर्ववर्ती विवेचक है, के बयान के अवलोकन से यह पाया जाता है कि इस साक्षी ने विवेचना से संबंधित

कार्यवाही केस डायरी में अंकित करते हुये वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा नजरी तैयार किया है तथा उक्त नक्शा नजरी को (प्रदर्श क–4) के रूप में साबित किया है। इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने द्वितीयक साक्षी के रूप में विवेचक नन्द लाल द्वारा प्रेषित आरोप पत्र को (प्रदर्श क–5) के रूप में साबित किया है। तथ्य के संबंध में इस साक्षी के बयान से कोई युक्तियुक्त राय नहीं बनायी जा सकती है। यह साक्षी औपचारिक साक्षी है, जो पुलिस प्रपत्र को साबित किया है।

18– उपरोक्त के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष की तरफ से बरामद मादक पदार्थ की जांच से संबंधित प्रपत्र कागज संख्या० 7अ विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ०प्र० आगरा की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट जिसमें दिनांक 10.10.2008 को उक्त मादक गोलियां जॉच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला को प्राप्त हुयी है। उक्त मादक गोलियों के विश्लेषण से विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा डायजापाम होना पाया गया है। इस रिपोर्ट में जिन मादक गोलियों का डायजापाम का पाया जाना उल्लेखित किया गया है जो माल नमूने के लिये भेजा गया, वह वास्तव में अभियुक्त के पास से बरामद हुआ था या नहीं, यह तथ्य उपरोक्त विवेचना में संदिग्ध पाया गया है। उक्त तथ्य से परीक्षण हेतु भेजा गया माल वास्तव में बरामद किये हुये माल का ही नमूना था अथवा अन्य माल का, यह तथ्य स्पष्ट नहीं है। अत: मात्र विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के पास से माल बरामद होना नहीं माना जा सकता।

प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य भी विचारणीय है कि क्या बाद गिरफ्तारी वादी मुकदमा द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुरूप सभी आवश्यक विधिक कार्यवाहिया सम्पादित की गयी है? जैसा कि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में धारा–50 एन.डी.पी.एस एक्ट एवं धारा–57 एन० एन.डी.पी.एस के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

जहाँ तक धारा–50 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अनुपालन का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में धारा–50 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी है कि–

(1) जब धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है तब वह, ऐसी व्यक्ति को यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे तो, बिना आवश्यक विलम्ब के धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा।

(2) यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है, तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तब तक निरूद्ध रख सकेगा, जब तक वह उसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जा सकता।

(3) यदि ऐसा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति लाया जाता है। तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं पाता है तो वह ऐसे व्यक्ति को तत्काल उन्मोचित कर देगा, किन्तु अन्यथा यह निदेश देगा कि तलाशी ली जाए।

(4) किसी स्त्री की तलाशी, स्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाएगी।

(5) जब धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति को जिसकी तलाशी ली जानी है। उसके कब्जे में किसी स्वापक औषधि या मलःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज को उस व्यक्ति से जिसकी तलाशी ली जानी है, अलग किए बिना निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की बजाय उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 में उपबंधित है।

(6) उपधारा (5) के अधीन तलाशी लिए जाने के पश्चात् उक्त अधिकारी ऐसे विश्वास के कारणों को लेखबद्ध करेगा, जिसकी वजह से ऐसी तलाशी की आवश्यकता पड़ी थी और उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी को बहत्तर घण्टे के भीतर भेजेगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालयद्वारा नारकोटिक कन्ट्रोल ब्यूरो बनाम सुखदेव राज सोढ़ी 2011(6) एस०सी०सी० पेज 392 के मामले में स्पष्ट रूप से यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित किया गया है कि धारा–50 एन०डी०पी०एस०एक्ट का अनुपालन अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में यह भी अवधारित किया गया है कि गिरफ्तारी के पश्चात् अभियुक्त को यह सूचित करना कि वह किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी तलाशी करा सकता है, ही पर्याप्त नहीं नहीं है अपितु गिरफ्तारी के पश्चात् अभियुक्त को वास्तविक रूप से किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना आवश्यक है। इसके सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है कि इसके बावत संवैधानिक पीठ में ही यह स्पष्ट किया गया है कि गिरफ्तारी के पश्चात् तलाशी हेतु अभियुक्त को किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष वास्तविक रूप से उपस्थित किया जाना सम्पूर्ण कार्यवाही की सत्यता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता के लिए आवश्यक है। अतः इस विधि व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से प्रत्येक स्थिति में अभियुक्त की गिरफ्तारी के पश्चात् तलाशी हेतु राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष भौतिक उपस्थिति अनिवार्य बताया गया है तथा यह भी अभिमत व्यक्त किया गया है कि इसका अनुपालन आवश्यक रूप से अत्याधिक कडाई के साथ होना चाहिए। इसी प्रकार का अभिमत **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Vijaysinh Chandupha Jateja Versas State of Gujarat (2011) 1 S.C.C–609 में भी धारा–50**

एन०डी०पी०एस०एक्ट के अनुपालन में बाद गिरफ्तारी अभियुक्त को आवश्यक रूप से राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष भौतिक रूप से उपस्थित किये जाने और राजपत्रित अधिकारी / मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लिये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

विधि व्यवस्था **In State of Punjab Vs. Baldev Singh 1999 (6) SCC 172** the Hon'ble Supreme Court held that the compliance of Section 50 N.D.P.S. Act is mandatory.

"..... That when an empowered officer or a duly authorised officer acting on prior information is about to search a person, it is imperative for him to inform the person concerned of his right under sub-section (1) of Section 50 of being taken to the nearest gazetted officer or the nearest Magistrate for making the search......"

(2) That failure to inform the person concerned about the existence of his right to be searched before a gazetted officer or a Magistrate would cause prejudice to an accused."

प्रस्तुत मामले में धारा-50 एन०डी०पी०एस०एक्ट के अनुपालन के सम्बन्ध में वादी मुकदमा एस.आई बबलू सिंह वर्मा द्वारा अपनी प्रति परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि अभियुक्त को उसकी जामातलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष लिये जाने के संबंध में अवगत कराया गया था किन्तु अभियुक्त के मना करने पर स्वंय द्वारा जामा तलाशी ली गयी थी। फर्द बरामदगी में अंकित उक्त तथ्य से भी यह स्पष्ट नहीं है कि उसे उसके अधिकार के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। इसके अतिरिक्त फर्द बरामदगी में उल्लिखित उक्त तथ्य पूरी तरफ से मनगढन्त एवं अविश्वसनीय प्रतीत होता है। जैसा कि मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में धारा-50 एन०डी०पी० एस०एक्ट के अनुपालन को अनिवार्य बताया गया है, अतः फर्द बरामदगी में उक्त तथ्य लाने मात्र से धारा-50 एन०डी०पी०एस०एक्ट के अनुपालन से किसी प्रकार की छूट वादी मुकदमा को नहीं दी जा सकती है।

जहाँ तक धारा-57 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अनुपालन का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गयी है कि-

"जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी या अभिग्रहण करता है, तब वह ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण के ठीक पश्चात् 48 घंटों के भीतर, ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण की सभी विशिष्टियों की पूरी रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ अधिकारी को देगा।"

इस सम्बन्ध में फर्द बरामदगी एवं साक्षियों के बयान में गिरफ्तारी की सूचना उच्च अधिकारियों को दिया जाना अंकित नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में कोई पुलिस प्रपत्र भी प्रस्तुत किये गये है जिससे यह स्पष्ट हो कि गिरफ्तारी की सूचना 48 घण्टे के अंदर वादी द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को दी गयी हो। धारा 57

एन.डी.पी.एस एक्ट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या कोई वस्तु अभिग्रहण में लिये जाने के ठीक 48 घण्टे के भीतर ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण की सभी विशिष्टियों की पूरी रिपोर्ट अपने पदीय वरिष्ठ अधिकारी को देना बाध्यकारी करता है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में न तो कोई ऐसा कथन किया गया है और न ही ऐसी कोई रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर दाखिल है और न ही ऐसी किसी रिपोर्ट का तस्करा रोजनामचा आम में किया गया है जबकि धारा–57 एन०डी० पी०एस०एक्ट के अनुसार यह आवश्यक है कि ऐसी गिरफ्तारी एवं अभिग्रहण में ली गयी वस्तु से सम्बन्धित सभी विशिष्टियों की पूरी रिपोर्ट गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी अपने पदीय वरिष्ठ अधिकारी को देगा। यह प्राविधान भी अनिवार्य है, जिसका अनुपालन आवश्यक है। वादी द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में इसकी सूचना किसी वरिष्ठ अधिकारी को दी गयी या नहीं, इस संबंध में न तो फर्द बरामदगी में कोई अंकन किया गया है और न ही न्यायालय में किये बयान में ही ऐसी किसी सूचना को दिये जाने के संबंध में कथन किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त प्राविधान का भी सम्यक् अनुपालन वादी मुकदमा द्वारा नहीं किया गया है और न ही पत्रावली में अभियोजन पक्ष की तरफ से इस सम्बन्ध में कोई पुलिस प्रपत्र ही प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके अवलोकन से यह पाया जाये कि धारा–57 एन०डी०पी०एस०एक्ट का अनुपालन अभियोजन पक्ष की तरफ से सम्यक विधिसंगत तरीके से किया गया है।

In the decisions **in Pankaj Bansal v. Union of India 2024 (7) SCC 576, Prabir Purkayastha v. State (NCT of Deihi) 2024(8) SCC 254 and Vihaan Kumar v. State of Haryana AIR 2025 SC 1388,** it has been held that the requirement of informing a person of grounds for arrest is a mandatory requirement of Article 22(1) and also that the information of the grounds for arrest must be provided to the arrested person in such a manner that sufficient knowledge of the basic facts confuting the grounds imparted and communicate to the arrested person effectively in the language which he understands.

उपरोक्त विधि व्यवस्था में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त को गिरफ्तारी का कारण स्पष्ट रूप से उसी भाषा में बताये जाने का प्रावधान किया गया है जिसमें वह आसानी से समझ सके। प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त को वास्तव में प्रभावी तरीके से गिरफ्तारी का कारण बताया गया अथवा नहीं।

19– जैसा कि उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से यह पाया गया है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से अभियुक्त की गिरफ्तारी व उसके पास से बरामद माल मुकदमा की जो फर्द वादी मुकदमा द्वारा तैयार की गयी है तथा वाद गिरफ्तारी अन्य कार्यवाही जो पुलिस पार्टी द्वारा बतायी गयी है वह अपने आप में ही सन्देहास्पद है। उक्त तथ्य को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की तरफ से तथ्य के साक्षी वादी मुकदमा को

परीक्षित कराया गया है, उनके बयान में अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की परिस्थितियों के सम्बन्ध में सारवान विरोधाभास है। साथ ही साथ अभियोजन पक्ष की तरफ से प्रस्तुत प्रकरण में धारा–50 एन०डी०पी०एस०एक्ट एवं धारा–57 एन०डी०पी०एस०एक्ट का अनुपालन विधि सम्मत तरीके से किया जाना नहीं पाया जाता है, अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा अभियुक्त के पास से बरामद माल पूरी तरफ से संदिग्ध हो जाता है और अभियोजन कथन युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्त अपने ऊपर लगाये गये आरोप से दोषमुक्त होनें योग्य है।

आदेश

1. विशेष सत्र परीक्षण सं. 47/2008 मुकदमा अपराध संख्या. 949/2008 थाना करहल जिला मैनपुरी में अभियुक्त पप्पू पुत्र सुखवासी लाल निवासी चन्दरपुर थाना कुर्रा जनपद मैनपुरी को धारा 08/22 एन.डी.पी.एस एक्ट के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

2. अभियुक्त के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतनामे निरस्त किये जाते है तथा जमानतियों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

3. मुकदमें से संबंधित बरामदगी को बाद मियाद अपील विनष्ठ किया जाये।

4. अभियुक्त द्वारा –437 ए दं.प्र.सं. के अनुपालन में दाखिल की गयी जमानत छः माह तक प्रभावी रहेगी।

दिनाँक:– 13.08.2026

(अच्छे लाल सरोज)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या 01, मैनपुरी।
ID No. –UP 6134

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनाँक:– 13.08.2026

ACHCHHE LAL SAROJ
Digitally signed by ACHCHHE LAL SAROJ
Date: 2026.08.20 11:13:16 +0530

(अच्छे लाल सरोज)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या 01, मैनपुरी।
ID No. –UP 6134